मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग,
मंत्रालय

क्रमॉक : 120/आर. 50 /चार/ब–7/डीएमसी 2019 भोपाल दिनांक 10 मार्च 2019

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
शासन के समस्त विभागाध्यक्ष,
राज्य शासन के समस्त निगम/मंडल/
बोर्ड एवं अन्य उपक्रम मध्यप्रदेश ।

विषय :– राज्य शासन के वित्तीय प्रबंधन हेतु दिशा–निर्देश ।

000

राज्य शासन के सुचारू वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से निम्नांकित निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1/– <u>व्यक्तिगत जमा पी0डी0/के–डिपॉजिट में जमा अव्ययित राशियॉ</u> :– वित्त विभाग द्वारा विभागीय अधिकारियों को पी.डी. (व्यक्तिगत जमा) खाता/के–डिपॉजिट खोले जाने की अनुमति समय–समय पर दी गई है, जिसमें विभिन्न योजनाओं की राशि रखी गई है । इन योजनाओं के संचालित नहीं रहने अथवा पूर्ण हो जाने के उपरांत शेष अव्ययित राशि (यथाउपरांत, "अव्ययित राशि") राज्य की संचित निधि में जमा कर देना चाहिए।

1.1 – राज्य शासन के ध्यान में आया है कि कई विभागों द्वारा पी.डी./के–डिपॉजिट खातों में उपलब्ध अव्ययित राशि को संचित निधि में जमा नहीं कराया गया है। अतः विभाग अंतर्गत प्रचलित समस्त पी.डी. खाते/के–डिपॉजिट की समीक्षा की जाकर निम्नानुसार कार्यवाही की जाये :–

(i) जिन पी.डी. खाते/के–डिपॉजिट में केवल अव्ययित राशि रखी है, उक्त राशि को राज्य की संचित निधि में जमा कराया जाकर ये खाते बंद किये जायें।

(ii) जिन पी.डी.खाते में अव्ययित राशि के साथ अन्य प्रचलित योजनाओं की राशि रखी है, वहॉ अव्ययित राशि की गणना कर उक्त राशि को राज्य की संचित निधि में जमा कराया जायें।

(iii) उपरोक्तानुसार कार्यवाही दिनांक 25 मार्च 2019 के पूर्व कर ली जाये तथा जानकारी संलग्न प्रारूप–1 में वित्त विभाग को भेजी जाये । इस दिनांक तक जानकारी प्राप्त नहीं होने पर यह माना जाएगा कि जिन पी.डी. खाते/के–डिपॉजिट में विगत 03 वर्षो में कोई संव्यवहार नहीं हुआ है, वे अव्ययित राशि से संबंधित है तथा दिनांक 28 मार्च, 2019 को ऐसे खाते कोषालय स्तर से बंद कर इन खातों में उपलब्ध राशियों को राज्य की संचित निधि में जमा कर दिया जाएगा ।

//2//

1.2 उपरोक्तानुसार संचित निधि में जमा कराई गई राशि की विभाग को यदि भविष्य में आवश्यकता होती है, तो वित्त विभाग की सहमति से निर्धारित बजट प्रक्रिया अनुसार आवश्यक वित्तीय संसाधन विभाग को उपलब्ध कराए जा सकेंगे ।

2/– **<u>राज्य शासन के विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा बैंक खातों में जमा राशियॉ</u>** :– विभागों द्वारा राज्य की संचित निधि से आहरित राशियों को बैंक खातों में जमा किये जाने हेतु वित्त विभाग से सहमति प्राप्त की जाना अनिवार्य है । बैंक खाते खोलने के लिए भी वित्त विभाग की अनुमति आवश्यक हैं । ऐसे खातों में न्यूनतम आवश्यक सीमा में ही राशि रखी जानी चाहिए । इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जाए :–

(i) विभागाध्यक्ष/अधीनस्थ कार्यालय स्तर पर संचालित जिन बैंक खातों के लिए वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त नहीं की गई है, उनकी संपूर्ण शेष राशियों को दिनांक 25 मार्च 2019 के पूर्व राज्य की संचित निधि में जमा कर ऐसे खाते बंद करवाएं जाए ।

(ii) अनुमति प्राप्त बैंक खातों में उपलब्ध अव्ययित राशियों को दिनांक 25 मार्च 2019 के पूर्व राज्य की संचित निधि में जमा कराया जाए ।

(iii) अनुमति प्राप्त बैंक खातों में न्यूनतम आवश्यकता से अधिक राशि को दिनांक 25 मार्च 2019 के पूर्व राज्य की संचित निधि में जमा कराया जाए।

(iv) इस संबंध में विभाग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी प्रमाणीकरण सहित दिनांक 25 मार्च 2019 तक संलग्न प्रारूप–2 में वित्त विभाग को भेजी जाये ।

(v) दिनांक 25 मार्च 2019 तक उक्त निर्देश का पालन न किये जाने पर संबंधित शासकीय सेवक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

उपरोक्त निर्देश निगम/मंडल/आयोग/विश्व विद्यालय/स्थानीय संस्थाएँ आदि अर्धशासकीय संस्थाओं द्वारा खोले गए ऐसे बैंक खातों जिनमें मात्र उनके स्वंय के स्त्रोतों से प्राप्त धनराशि रखी जाती है, पर लागू नहीं होंगे। यदि ऐसी संस्थाओं के किसी बैंक खातों में संचित निधि से प्राप्त शासकीय योजनाओं की अव्ययित राशियॉ रखी है, तो उसका आंकलन कर अव्ययित राशि को राज्य की संचित निधि में जमा करने की कार्यवाही करें।

3/– राज्य शासन के उपकमों, संस्थानों द्वारा बैंक खातों में जमा राशियॉ :–

(i) राज्य शासन के अनेक संस्थानों, उपक्रमों आदि द्वारा बैंक खातों में काफी अधिक राशि रखी गई है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अनुसार प्रदेश की जनता से प्राप्त राशि का अधिकाधिक उपयोग प्रदेश के विकास में होना चाहिए। ऐसे संस्थानों की जमा राशियॉ सामान्यतः दो प्रकार की हो सकती हैं :–

(a) स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त राशि

(b) केन्द्र/राज्य शासन की संचित निधि/अन्य स्त्रोतों से प्राप्त राशि ।

(ii) संस्थानों द्वारा बैंकों में विनियोजित/जमा राशियों पर पृथक–पृथक दरों पर ब्याज प्राप्त होता है, एवं चालू खातों में कोई ब्याज प्राप्त नहीं होता। संभव है कुछ संस्थानों की राशि अपेक्षाकृत कम ब्याज पर सावधि जमा खाते हों। राज्य शासन द्वारा तरलता प्रबंधन एवं व्यय की पूर्ति के लिए प्राप्त किये जा रहे ऋण की ब्याज दर, उपरोक्त ब्याज दरों से अपेक्षाकृत अधिक रहती है, जिससे राज्य शासन पर ब्याज भुगतान का अतिरिक्त व्यय भार उत्पन्न होता है। अतः ऐसी राशियों के लिए कोषालयों में विशेष खाते (Special Deposit Account) खोलने की व्यवस्था की गई है, जिसके निर्देश पृथक से जारी किये जा रहे हैं । ऐसे खातों में केन्द्र/राज्य शासन की संचित निधि/अन्य स्त्रोतो से प्राप्त राशि के जमा पर ब्याज देय नहीं होगा, परंतु स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त राशि को जमा करने पर ब्याज दिया जाएगा । यह ब्याज दर भारतीय स्टेट बैंक की तत्समय प्रचलित सावधि जमा दर + 0.5 % अथवा राज्य शासन की उधार दर (Borrowing rate), इन दोनों में जो भी कम हो, होगी । उपरोक्त व्यवस्था से राज्य शासन तथा संस्थानों/उपक्रम दोनों पूर्व की अपेक्षा लाभप्रद स्थिति में रहेंगे।

(iii) उपरोक्तानुसार बैंक खातों में उपलब्ध राशियों को 31 मार्च 2019 तक कोषालय में विशेष खातों में जमा कराया जाए ।

4/– शासकीय/अर्धशासकीय संस्थाओं द्वारा लाभांश/आधिक्य राशि राज्य की संचित निधि में जमा करना :– शासन की कार्यपालिक/विधायी शक्तियों के अंतर्गत अनेक संस्थाओं को राज्य शासन द्वारा राजस्व/पूंजीगत संसाधन उपलब्ध कराये गये है, अथवा विशेष प्राधिकार प्रदान किया गया है । राज्य शासन के कल्याणकारी कार्यो के लिए वित्तीय उपलब्धता बनाए रखने के लिए इन संस्थाओं की सम्यक भागीदारी की आवश्यकता के दृष्टिगत निम्नानुसार व्यवस्था निर्धारित की जाती हैं:–

(i) ऐसे संस्थान, जिनमें राज्य शासन की अंशपूजी है तथा संस्थान द्वारा मुख्यतः व्यावसायिक गतिविधियॉ संचालित की जाती हैं, द्वारा लाभांश राज्य शासन को दिया जाये ।

(ii) ऐसे संस्थान, जो नियामक स्वरूप के है या सर्विस प्रोवाईडर आदि का कार्य करते है, द्वारा उपलब्ध आधिक्य राशि (Disposable surplus) को राज्य शासन की संचित निधि में जमा कराया जावे।

(iii) संस्थानों के वर्गीकरण तथा लाभांश या आधिक्य राशि (Disposable surplus) का निर्धारण निम्नांकित समिति द्वारा किया जावेगा :–

(a) भारसाधक सचिव, वित्त विभाग	–	अध्यक्ष
(b) भारसाधक सचिव (प्रशासकीय विभाग)	–	सदस्य
(c) आयुक्त, संस्थागत वित्त	–	सदस्य
(d) भारसाधक अधिकारी (संबंधित संस्थान)	–	सदस्य
(e) अध्यक्ष की अनुमति से अन्य कोई व्यक्ति	–	सदस्य

समिति में सहमति नहीं होने पर वित्त विभाग द्वारा प्रकरण, मुख्य सचिव को भेजा जाएगा एवं मुख्य सचिव द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा । जहॉ आवश्यक हो, प्रशासकीय विभाग समिति/मुख्य सचिव के निर्णय के पालन हेतु संबंधित नियम/ अधिनियम में यथोचित प्रावधान करने हेतु कार्यवाई करेंगें।

5/– शासकीय नियुक्तियों में प्रकिया का युक्तियुक्तकरण :– वित्तीय वर्ष 2018–19 में कतिपय विभागों द्वारा नवीन पद निर्मित कराए गए है। उक्त पदों पर तथा पूर्व में निर्मित पदों पर नियुक्ति विभिन्न विभागों द्वारा अलग–अलग प्रकियाओं द्वारा की जा रही है। इस हेतु प्रशासकीय विभागों द्वारा प्रकिया के युक्तियुक्तकरण की आवश्यकता तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में समस्त नवीन नियुक्तियों के संबंध में कार्यवाही के पूर्व वित्त विभाग से सहमति प्राप्त की जावे।

6/– पूंजीगत कार्यो का प्रबंधन :– प्रदेश में पूंजीगत कार्यो के कियान्वयन में निरंतरता बनी रहे तथा वित्तीय संसाधनों के अभाव में विलम्ब के कारण लागत में वृद्धि नहीं हो, इस उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित व्यवस्था निर्धारित की जाती है :–

(i) प्रशासकीय स्वीकृति/कार्यादेश स्वीकृति – वित्तीय प्रबंधन की दृष्टि से तीन सूचकांक तय किये जाते हैं, जिनकी गणना निम्नानुसार की जावेगी :–

वार्षिक पूंजीगत उपलब्धता = वार्षिक बजट अनुमान (BE) में पूंजीगत व्यय हेतु उपलब्ध राशि

सूचकांक–1 = (विभाग द्वारा जारी प्रशासकीय स्वीकृतियों की सकल राशि – इन स्वीकृतियों के विरूद्व वित्तीय वर्ष के प्रारंभ की स्थिति में व्यय)/(वार्षिक पूंजीगत उपलब्धता)

सूचकांक–2 = (विभाग द्वारा स्वीकृत टेण्डर अन्तर्गत संविदा के लंबित दायित्व + भूअर्जन की राशि + वन विभाग को दी जाने वाली राशि – इन स्वीकृत टेण्डरों के विरूद्व वित्तीय वर्ष के प्रारंभ की स्थिति में व्यय) /(वार्षिक पूंजीगत उपलब्धता)

सूचकांक–3 = (विभाग द्वारा स्वीकृत टेण्डर अन्तर्गत संविदा के लंबित दायित्व में दी जाने वाली राशि – इन स्वीकृत टेण्डरों के विरूद्व वित्तीय वर्ष के प्रारंभ की स्थिति में व्यय) / (वार्षिक पूंजीगत उपलब्धता)

इन सूचकांकों की अधिकतम सीमा प्रमुख निर्माण विभागों के लिए निम्न तालिका अनुसार निर्धारित की जाती हैं :–

अधिकतम सीमा	जल संसाधन	नर्मदाघाटी विकास प्राधिकरण	लोक निर्माण विभाग	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
सूचकांक–1	6	5	4	4
सूचकांक–2	4	4	3.5	3
सूचकांक–3	3	3	3	3

उपरोक्त 04 विभागों को छोड़कर अन्य सभी विभागों के लिए सूचकांक–1 की अधिकतम सीमा 3 (तीन) नियत की जाती है । सूचकांक–2 एवं सूचकांक–3 ऐसे विभागों पर लागू नहीं होगे ।

प्रशासकीय स्वीकृति/कार्यादेश जारी करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी सुनिश्चित करेगें कि इन सूचकांको का माप (Value) उपरोक्त तालिका में इन सूचकांको के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं हो ।

स्पष्टीकरण – उपरोक्त गणना में प्रशासकीय स्वीकृतियॉ/स्वीकृत टेडर/वार्षिक पूंजीगत उपलब्धता की गणना में अस्थाई/एकबारगी(One Time) स्वरूप के संसाधन तथा इनसे होने वाले व्ययों को शामिल न किया जाये । उदाहरण :– एक विभाग को वार्षिक बजट में स्थाई स्वरूप की योजनाओं के लिए रूपये 250 करोड़ की धनराशि उपलब्ध है तथा जिला माईनिंग फण्ड से रूपये 50 करोड़ का पृथक बजट प्रावधान किया गया है एवं विभाग के लिए सूचकांक–1 की अधिकतम सीमा 3 है। ऐसे विभाग के लिए स्थाई स्वरूप की योजनाओं के लिए सकल प्रशासकीय स्वीकृतियों (जिला माईनिंग फण्ड में स्वीकृत परियोजनाओं को छोड़कर) में से इन स्वीकृतियों के विरूद्व वित्तीय वर्ष के प्रारंभ तक हुए व्यय को घटाने पर यह आंकड़ा 250X3= रूपये 750 करोड़ से अधिक नही होना चाहिए। जिला माईनिंग फण्ड से प्राप्त बजटीय संसाधन उस योजनांतर्गत विभाग को स्वीकृत/वित्त पोषित कार्यो के लिए ही व्यय किये जाने चाहिए ।

(ii) प्रशासकीय स्वीकृतियों के लिए वित्तीय आवश्यकता – पूंजीगत कार्यो के लिए प्रशासकीय स्वीकृति हेतु सक्षम वित्तीय समितियों के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले एजेंडा के साथ प्रारूप–3 में जानकारी उपलब्ध कराई जाए ।

(iii) डिपॉजिट वर्क – निर्माण विभागों के डिपॉजिट वर्क्स के तहत "वर्क्स–डिपॉजिट" में राशियॉ जमा की जाती हैं। इन कार्यों में से कुछ कार्य प्रारंभ ही नहीं किये गये है, अथवा कार्य पूर्ण होने के बाद राशि शेष रह गई हैं। अतः ऐसी समस्त शेष राशियां राज्य शासन के राजस्व शीर्ष में दिनांक 31 मार्च 2019 के पूर्व जमा की जायें। संबंधित कार्यों में आवश्यकता होने पर ऐसी जमा राशियां, निर्धारित बजट प्रक्रिया अनुसार उपलब्ध कराई जावेगी।

7/– उक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,

10/3/2019

(डॉ मनोज गोविल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय,भोपाल

कमॉक : 121 /आर. 50 /चार/ब–7/डीएमसी 2019 भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2019

प्रतिलिपि :–

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,मध्यप्रदेश लेखा भवन बुक 1 ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
2 आयुक्त, कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

प्रारूप–1

व्यक्तिगत जमा (पी0डी0)/के–डिपॉजिट में जमा राशियॉ

विभाग का नाम :.....

स0 क्रं0	खाता संधारणकर्ता कार्यालय/अधिकारी	खाते का प्रकार (पी.डी./ के–डिपॉजिट)	01 मार्च 2019 को खाते में उपलब्ध कुल राशि (रूपये में)	कॉलम 4 में से खाते में उपलब्ध अव्ययित राशियॉ (रूपये में)	संचित निधि में जमा कराई गई राशि (रूपये में)	संचित निधि में राशि जमा करने की दिनांक	यदि खता बंद किया हो,तो खाता बंद करने की दिनांक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विभाग के अंतर्गत समस्त व्यक्तिगत जमा/के–डिपॉजिट,की जानकारी उपरोक्तानुसार प्रस्तुत है। जिन खातों में केवल अव्ययित राशियॉ उपलब्ध थीं, उनको ऐसी राशि संचित निधि में जमा कर बंद कर दिया गया है । जिन खातों में अंशतः अव्ययित राशियॉ थी, उनमें उपलब्ध समस्त अव्ययित राशियॉ राज्य की संचित निधि में जमा कर दी गई हैं ।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
दिनांक

प्रारूप–2

राज्य शासन के विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा बैंक खातों में जमा राशियॉ

विभाग का नाम :–.....

स0 कं0	कार्यालय जिसके द्वारा खाता संधारित किया जा रहा हैं	बैंक का आईएफएससी कोड़ एवं खाता कमॉक	क्या उक्त खाता खोले जाने की अनुमति वित्त विभाग से प्राप्त हैं (हॉ/नही)	यदि वित्त विभाग से अनुमति नही है		यदि वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त है अथवा वित्त विभाग की अनुमति आवश्यक नही है		यदि वित्त विभाग से अनुमति है		अभ्युक्ति
				बैंक खाते में उपलब्ध राशि संचित निधि में जमा करने की दिनांक	खाता बंद करने की दिनांक	खाते में उपलब्ध अव्ययित राशि का आंकलन (रूपये में)	उक्त राशि संचित निधि में जमा करने की दिनांक	एक माह की आवश्यकता से अधिक राशि का आंकलन (रूपये में)	उक्त राशि संचित निधि में जमा करने की दिनांक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

नोट 1 :– (बैंक खाते का आशय चालू बैंक खाता/बचत खाता/सावधि जमा अथवा बैंक /अन्य वित्तीय संस्थाओं में रखे गए किसी भी Instrument से हैं)

नोट 2 :– निगम/मंडल/आयोग/विश्व विद्यालय/स्थानीय संस्थाएँ आदि द्वारा स्वंय की स्त्रोतों से प्राप्त धन राशि रखने के लिए अनुमति की आवश्यकता नही है परंतु यदि ऐसी संस्थाओं के किसी बैंक खातों में संचित निधि से प्राप्त शासकीय योजनाओं की अव्ययित राशियॉ रखी है, तो उसका आंकलन कर अव्ययित राशि को राज्य की संचित निधि में जमा करने की कार्यवाही करें।

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विभाग के अंतर्गत तथा सभी अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा संचालित समस्त बैंक खाते की जानकारी इस प्रारूप में उपलब्ध कराई गई है । जिन खातों को संचालित करने की वित्त विभाग से अनुमति प्राप्त नहीं है, उक्त सभी खाते बंद कर राशियॉ संचित निधि में जमा कर दी गई है । जिन खातों को संचालित करने की अनुमति वित्त विभाग से प्राप्त है, उनमें एक माह की आवश्यकता का आंकलन कर शेष राशि संचित निधि में जमा कर दी गई हैं । जिन खातों को संचालित करने की अनुमति प्राप्त हैं, अथवा जिन खातों को संचालित करने की अनुमति आवश्यक नहीं है (निकाय/मंडल आदि हेतु) उनमें अव्ययित राशि का आंकलन कर उक्त राशि को संचित निधि में जमा कर दिया गया है ।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
दिनांक

प्रारूप–3

पूंजीगत स्वीकृत कार्यो के लिए वित्तीय आवश्यकता

(राशि रूपये लाख में)

विभाग का नाम :.....

स0कं0	बजटीय योजना का नाम / लेखाशीर्ष	परियोजना / योजना	प्रशासकीय स्वीकृति का आदेश कमॉक / दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति की राशि	निकटतम समाप्त वित्तीय वर्ष तक व्यय	शेष आवश्यक राशि (5–6)	वर्षवार आवश्यक राशि / संभावित व्यय राशि			अभ्युक्ति
							2019–20	2020–21	2021–22	
1	2	3	4	5	6	7	8(क)	8(ख)	8(ग)	9
योग										

विभाग के लिए नियत सूचकांक

कं0	माप (Value)	अधिकतम सीमा	अभ्युक्ति
सूचकांक 1			
सूचकांक 2			
सूचकांक 3			

नोट 1 – कॉलम 2 एवं 3 में विभाग के अंतर्गत प्रचलित समस्त पूंजीगत स्वरूप के कार्य (जिसकी वित्तीय देयताएँ शेष है) की जानकारी बजट योजनावार सम्मिलित की जाए ।

नोट 2 – कॉलम 8 में यदि आगे के वर्षो में व्यय होना संभावित हो, तो पत्रक में कॉलम 8(घ), 8(ड़.) आदि आवश्यकतानुसार सम्मिलित करें ।

नोट 3 – कॉलम 7 का ऑकड़ा सामान्यतः कॉलम 5 से कॉलम 6 घटाने पर प्राप्त होगा । यदि किसी कारण से इससे भिन्न हो, जैसे निविदा प्रतिशत अधिक आने से, संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति जारी होने से, आदि तो इसका उल्लेख कॉलम 9 में करें ।

नोट 4 – कॉलम 4 व 5 में परियोजना के लिए जारी नवीनतम (Latest/Revised) प्रशासकीय स्वीकृति, यदि ऐसी स्वीकृति जारी की गई हो, की प्रविष्टि की जाए ।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
दिनांक